संख्या-15/2018/940/दो-4-2018-45(12)/91टी0सी0

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 18 सितम्बर, 2018

विषयः- उ0प्र0 न्यायिक सेवा के एलएल0एम0 उपाधिधारक अधिकारियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल,2018 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11255/चार-एफ-82(लूज)/एडमिन.(ए),दिनांक 07 अगस्त, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ शासनादेश संख्या-8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में श्री राज नारायण सिंह व श्री श्यामजीत यादव, मा0 न्यायाधीशगण के प्रत्यावेदन संलग्न कर शासन से इस भ्रम/आशय की स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे न्यायिक अधिकारियों, जिन्होंने एलएल0एम0 की उपाधि न्यायिक सेवा में आने/ज्वॉइनिंग की तिथि से पूर्व या बाद में प्राप्त की है, उन्हें तीन अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ किस तिथि से देय होगा? क्या यह लाभ ज्वॉइनिंग की तिथि से देय होगा? अथवा दिनांक 21-03-2002 से देय होगा? अथवा एलएल0एम0 की उपाधि प्राप्त करने की तिथि से देय होगा?

2- इस सम्बन्ध में शासन के आदेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)1991टी0सी0, दिनांक 13-05-2009 सपठित शासन के पत्र संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 03-01-2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस शासनादेश में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-03-2002 के अनुपालन में मा0 शेट्टी आयोग की संस्तुति को दिनांक 21-03-2002 से स्वीकार करते हुए उ0प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा के विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक अधिकारियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान की गयी थीं।

3- तत्पश्चात मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-1649(एस बी)/2013 नीलकान्त मणि त्रिपाठी व 29 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017, रिट याचिका संख्या-678(एस बी)/2014 अभय प्रताप सिंह-II बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017 तथा रिट याचिका संख्या-1496 (एस बी)/2015 संजय शंकर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-05-2017 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 13 अप्रैल, 2018 जारी करते हुए उसके प्रस्तर-4 (2) में यह स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में आने के पूर्व एलएल0एम0 की उपाधि रखते हैं, उन्हें सेवा में आने के दिनांक से अथवा शासनादेश लागू होने के दिनांक से, जो भी लागू हो, उन्हें उपाधि प्राप्त करने के दिनांक से तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ देय होंगी। चूँकि शासनादेश दिनांक 13-05-2009 के द्वारा उस तिथि से, जिस तिथि से शेट्टी कमीशन की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संस्तुतियों को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-03-2002 द्वारा स्वीकार किया गया है अर्थात उन्हें दिनांक 21-03-2002 से तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ देय होंगी। यह व्यवस्था मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03-05-2017 के प्रस्तर-60 में दिये गये तीन निर्देशों - (or from the date of implementation of the Government Order) के अनुरूप है। तदनुसार श्री राज नारायण सिंह व श्री श्यामजीत यादव के प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया जाय।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शीतला प्रसाद)
विशेष सचिव

संख्या-15/2018/940(1)/दो-4-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, ऑडिट, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
(7) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
(8) समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0प्र0 ।
(9) समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
(10) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, 2 व 3, उ0प्र0 सचिवालय।
(11) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5/ वित्त(वेतन-आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 सचिवालय।
(12) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ0प्र0 सचिवालय।
(13) समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।